संख्या-122/2025/I/1017033/2025/71-1001(099)/163/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 10 जुलाई, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बहुमंजिला डबल सीटेड गर्ल्स छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/39, दिनॉक 13.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बहुमंजिला डबल सीटेड गर्ल्स छात्रावास के निर्माण कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के रूप में 06 प्रतिशत अंतर (भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.07.2022 को जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण) धनराशि रू0 83.86 लाख (रू0 तिरासी लाख छियासी हजार मात्र) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बहुमंजिला डबल सीटेड गर्ल्स छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1580.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-24/2021/1380/71-1-2021-जी-27/2018 टीसी-3, दिनांक 02.02.2021 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 1580.37 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 1580.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-24/2021/1380/71-1-2021-जी-27/2018टीसी-3, दिनांक 02.02.2021	200.00
2	संख्या-120/2022/I/241017/2022-71-1001(099)/163/2021,दिनांक 28.11.2022	100.00
3	संख्या-56/2023/I/296126/2023-71-1001(099)/163/2021,दिनांक 30.03.2023	141.15
4	संख्या-59/2023/I/296232/2023-71-1001(099)/163/2021,दिनांक 30.03.2023	349.035

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	संख्या-144/2023/I/421122/2023/71-1001(099)/163/2021,दिनांक [illegible]	790.185
	योग-	**1580.37**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक4210-03-105-43 राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 कमरों का बहुमंजिला डबल सीटेड गर्ल्स छात्रावास के निर्माण कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के रूप में देय 06 प्रतिशत अंतर (भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.07.2022 को जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण) की धनराशि **रू0 83.86 लाख (रू0 तिरासी लाख छियासी हजार मात्र)** अवमुक्त निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रधानाचार्य द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु जी0एस0टी0 की देय धनराशि के आकड़ो के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-24/2021/1380/71-1-2021-जी-27/2018 टीसी-3, दिनांक 02.02.2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,86,000 (रुपये तिरासी लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, लखनऊ।
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।